

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-163 / 2009
 संस्थित दिनांक-30.03.2009
 फाईलिंग क.234503000622009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,
 कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1-कत्तेसिंह वल्द अंजोर सिंह बैगा, उम्र-50 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी-ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-रनमत वल्द सुनहेर सिंह बैगा, उम्र-42 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी-ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-रायसिंह वल्द डोंगरसिंह धुर्वे, उम्र-40 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी-ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-रामचरण वल्द सुकलाल परते, उम्र-35 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी-ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

5-किशन वल्द सम्मेशिंह धुर्वे, उम्र-35 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी-ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

6-सम्हारु वल्द सुन्हेर परते, उम्र-40 वर्ष, जाति बैगा,
 निवासी-ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

7—सुकराजी वल्द सिक्कू धुर्वे, उम्र—35 वर्ष, जाति बैगा,
निवासी—ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

8—इतवारी वल्द गनपत परते, उम्र—35 वर्ष, जाति बैगा
निवासी—ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

9—सुखचरण वल्द सुकलाल परते, उम्र—32 वर्ष, जाति बैगा
निवासी—ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

10—लिखन वल्द बृजलाल परते, उम्र—32 वर्ष, जाति बैगा
निवासी—ग्राम पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड,
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—02 / 02 / 2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—27, 29, 31, 32, 35 (6) (8), 50, 51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—04.01.2009 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट गढ़ी के अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क में फुलवारी बीट के कक्ष क्रमांक—103 जामपानी में कुल्हाड़ी एवं एक नग माचिस बॉक्स चाबी छाप 17 नग तिली मय रोगन के, राष्ट्रीय उद्यान में बिना अनुज्ञा के आयुध कुल्हाड़ी एवं आग्नेय माचिस लेकर अवैध प्रवेश किया एवं 200 नग बांस की कटाई कर वन्यप्राणी के आवास को क्षति कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—04.01.2009 को परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट के अधिनस्थ वन कर्मचारियों द्वारा गश्ती के दौरान कान्हा नेशनल पार्क के अंदर कक्ष क्रमांक—103 फुलवारी बीट के जामपानी नामक स्थान पर गश्त कर रहे थे, उसी समय उस स्थान से बांस काटने की आवाज सुनाई दी, तब गश्ती के सभी सदस्यों द्वारा घेराबंदी कर घटनास्थल पर आरोपी को बांस काटते हुए पकड़ा गया। आरोपी के पास से मौके से 200 नग बांस, एक नग कुल्हाड़ी बेसा

सहित एवं एक नग माचिस बॉक्स चाबी छाप, जिसमें 17 नग तीली मय रोगन सहित जप्त किये गए। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम कत्तेसिंह पिता अंजोरसिंह बैगा, उम्र-45 वर्ष, निवासी पण्ड्रापानी, थाना मलाजखण्ड तहसील बैहर, जिला बालाघाट बताया था। आरोपी कत्तेसिंह द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया तथा घटनास्थल से फरार 9 अन्य आरोपीगण के नाम भी बताया, जिनमें आरोपी रनमत, रायसिंह, रामचरण, किशन, सम्हारू, सुकराजी, इतवारी, सुखचरण, लिखवन थे। आरोपी कत्तेसिंह से पार्क के अंदर प्रवेश करने, बांस काटने के अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछे जाने पर उसने कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। दिनांक-17.01.2009 एवं दिनांक-24.02.2009 को फरार आरोपीगण को पकड़ा गया, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-2930/09, धारा-27, 29, 31, 32, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-50, 51, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित 2003-2006) के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27, 29, 31, 32, 35 (6) (8), 50, 51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-04.01.2009 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट गढ़ी के अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क में फुलवारी बीट के कक्ष क्रमांक-103 जामपानी में कुल्हाड़ी एवं एक नग माचिस बॉक्स चाबी छाप 17 नग तीली मय रोगन के, राष्ट्रीय उद्यान में बिना अनुज्ञा के आयुध कुल्हाड़ी एवं आग्नेय माचिस लेकर अवैध प्रवेश किया एवं 200 नग बांस की कटाई कर वन्यप्राणी के आवास को क्षति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— वनरक्षक शिवम तिवारी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक-04.01.2009 को भुरसादादर बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त बीट भैंसानघाट के अंतर्गत आता है। उक्त दिनांक को वह गश्त करते हुए फुलवारी बीट में पहुंचा। उस समय उसके साथ संतनसिंह एवं लवकुश थे। उक्त दोनों कैम्प के चौकीदार हैं। जैसे ही वे जामपानी पहुंचे, वैसे ही बांस काटने की आवाज आई। फिर उन लोगों ने घेराबंदी की और एक आरोपी को पकड़ लिया। शेष आरोपीगण वहां से फरार हो गए थे। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कत्तेसिंह, जाति बैगा, निवासी पण्ड्रापानी बताया। उसने बताया कि उसके अन्य साथी 9 लोग थे, जिनके नाम समारू, सुखमन, लिखन और शेष के नाम उसे याद नहीं हैं। आरोपी कत्तेसिंह ने बताया था कि उसने और उसके साथी ने पके हुए लगभग 200 बांस कांटे हैं, जो उसने जप्त किये हैं। आरोपी कत्तेसिंह के पास एक माचिस और कुल्हाड़ी मिली थी। माचिस में 17 नग जिन्दा काड़ी थी। उक्त कार्यवाही के बाद उसने मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-1, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-3 तैयार किया था। उक्त दस्तावेज संतन एवं लवकुश के समक्ष तैयार किया था। उक्त कार्यवाही के बाद सम्पूर्ण दस्तावेज उसने परिक्षेत्र सहायक नूर मोहम्मद खान को सौंप दिया था।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ग्राम पण्ड्रापानी बफर क्षेत्र में आता है तथा कोर क्षेत्र उससे लगा हुआ है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी कत्तेसिंह ने 200 नग बांस नहीं काटा है और फिर भी उसने आरोपी से 200 नग बांस जप्ती का उल्लेख किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त बांस आरोपी के कब्जे के नहीं हैं।

7— एन.एम. खान (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक-04.01.2009 की है। वह घटना के समय वनरक्षक के साथ गश्ती पर था, तो कक्ष क्रमांक-103 जामपानी नामक स्थान पर गश्त करते हुए जा रहे थे, तो जामपानी के पास उन्होंने 10 लोगों को बांस काटते हुए देखा था। घेराबंदी डालकर आरोपी कत्तेसिंह को पकड़ा था और शेष आरोपीगण वहां से फरार हो गए थे। आरोपी कत्तेसिंह से पूछताछ करने पर उसने शेष आरोपीगण के नाम

बताए थे। आरोपी कत्तेसिंह से 200 नग बांस, एक कुल्हाड़ी, चाबी छाप माचिस जिसमें 17 नग जिंदा तिली थी, जप्त किया था। जप्तीपत्रक उसके अधिनस्थ कर्मचारी शिवम तिवारी ने तैयार किया था। उसके समक्ष प्रदर्श पी-1 के मौके का पंचनामा शिवम तिवारी के द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं आरोपी के अंगूठा निशानी हैं। आरोपी कत्तेसिंह, रनमत, सम्हारु, रायसिंग, किसन, सुखराजी, ईतवारी, सुखचरण, रामशरण, लिखनसिंह के बयान उनके द्वारा आरोपीगण के बताए अनुसार लिया गया था। प्रदर्श पी-4 से लगायत प्रदर्श पी-13 पर उसके एवं आरोपीगण के अंगूठा निशानी लिया था तथा आरोपी रनमत के हस्ताक्षर लिया था।

8— साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उसे वनरक्षक शिवम तिवारी ने प्रदर्श पी-14 का बयान अपनी हस्तलिपि में लिखकर उसे दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी संतनसिंह व लवकुश के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गए थे, जो प्रदर्श पी-15 व 16 है, जिस पर उसके तथा गवाहों के हस्ताक्षर हैं एवं आरोपीगण के अंगूठा निशानी लिया था। घटनास्थल पर आरोपी कत्तेसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-17 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अन्य आरोपीगण को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-18 से लगायत प्रदर्श पी-26 के अनुसार गिरफ्तार किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आरोपीगण के अंगूठा निशानी लिया था तथा आरोपी रनमत के हस्ताक्षर लिया था। घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-27 उसके द्वारा बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल को लाल चौकोर से दर्शाया था। दिनांक-05.01.2009 को अनुमति के आधार पर माचिस जिसमें 17 नग तिली थी, को नष्ट करने बाबत पंचनामा प्रदर्श पी-28 बनाया था, जिस पर उसके एवं गवाहों के हस्ताक्षर हैं। आरोपी कत्तेसिंह ने अपने बयान में अन्य 9 आरोपीगण के साथ मिलकर निस्तार हेतु कान्हा नेशनल पार्क में बांस काटना स्वीकार किया था तथा उसने यह भी बताया था कि सभी आरोपीगण ने 20-20 नग बांस काटे थे आरोपीगण के पास बांस काटने का किसी भी प्रकार की अनुमति पत्र नहीं था। जप्त सामग्री माचिस की 17 नग जिंदा तिली नष्ट करने की अनुमति बाबत आवेदन प्रकरण में संलग्न किया है, जिसकी न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

9— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण मौके से भाग गए थे। साक्षी का स्वतः कथन है कि कत्तेसिंह पकड़ में आया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण का गांव कोर क्षेत्र से लगा हुआ है। साक्षी ने यह

भी स्वीकार किया कि जहां पर बांस कटे पाए गए थे, वह स्थान खुली जगह है और कोई फेंसिंग आदि नहीं है, जहां पर कोई भी सामान्य व्यक्ति पहुंच सकता है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई विवेचना के संबंध में कथन किये हैं।

10— सी.आर. उइके (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—30.03.2009 को वह परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला के पद पर पदस्थ था। उसके अधिनस्थ परिक्षेत्र सहायक गढ़ी श्री खान द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक—2930/09, दिनांक—04.01.2009 की सम्पूर्ण विवेचना करने के परांत प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण की समीक्षा उपरान्त उसने अपने हस्ताक्षर से इस प्रकरण का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है।

11— सन्तनसिंह आरमो (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को घटना के समय से जानता है। दिनांक—04.01.2009 की घटना है, उस दिन वह गश्ती के दौरान जामपानी में एक आदमी बांस काटते हुए मिला। उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कत्तेसिंह बताया था। कत्तेसिंह ने करीब दो सौ बांस काट चुका था। पूछताछ करने पर कत्तेसिंह ने अपने 9 साथियों के नाम बताया था। उसे ध्यान नहीं है कि उसके साथियों का क्या नाम था। जामपानी नामक स्थान कान्हा नेशनल पार्क के कोरजोन के अंतर्गत आता है। आरोपी कत्तेसिंह से एक बेसा सहित कुल्हाड़ी, एक चाबी छाप माचिस, जिसमें 17 नग तिली बारूद सहित थी, जप्त किये गए थे तथा आरोपी कत्तेसिंह से दो सौ नग बांस भी जप्त किये गए थे। मौके का पंचनामा एवं जप्तीनामा प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 उसके समक्ष बनाया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष प्रदर्श पी-3 का पी.ओ.आर. काटा गया था। उसके समक्ष आरोपी कत्तेसिंह का बयान सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा लिया गया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान परिक्षेत्र सहायक गढ़ी को दिया था, जो प्रदर्श पी-15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी कत्तेसिंह को उसके समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-17 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने बांस काटते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके समक्ष घटना के अन्य आरोपीगण के बारे में कत्तेसिंह से कोई पूछताछ नहीं की गई है और उसने अपना कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने अधिकारियों के

कहने पर कागजों पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसके सामने जप्ती अधिकारी व अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं किया है और वन श्रमिक होने से अपने अधिकारी के कहने पर उसने दस्तावेजी कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे।

13— लवकुश (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी कत्तेसिंह को जानता है, शेष आरोपीगण को नहीं जानता। घटना दिनांक-04.01.2009 की है, वह अपने डिप्टी साहब, वनरक्षक तथा श्रमिक के साथ जामपानी में गश्ती पर कर रहे थे। उस समय उसे बांस काटने की आवाज सुनाई दी, जिस पर वे चारों तरफ से घेराबंदी कर आरोपी कत्तेसिंह को पकड़े थे और शेष आरोपीगण वहां से भाग गए थे। उनके डिप्टी साहब, वनरक्षक ने लिखपढ़ी कर कार्यवाही की थी। एक कुल्हाड़ी, एक माचिस तथा 200 बांस मौके पर मिले थे। आरोपी कत्तेसिंह को पकड़कर उनके डिप्टी साहब फुलवारी केम्प ले गए थे तथा वहां से वन परिक्षेत्र कार्यालय भैंसानघाट ले गए। पंचनामा प्रदर्श पी-1 के ई से ई, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 के स से स, आरोपी कत्तेसिंह का कथन प्रदर्श पी-4 के स से स, उसके बयान प्रदर्श पी-16 के स से स, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-17 के स से स, संपत्ति नष्ट करने का पंचनामा प्रदर्श पी-28 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने आरोपी कत्तेसिंह के अलावा किसी को नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल पर कोई तार या बाउण्ड्री नहीं है और घटनास्थल के जंगल में रास्ता बना हुआ है, जिससे सामान्य लोगों का आना-जाना होता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि किस आरोपी ने कितने बांस काटे थे, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी ने क्या बयान दिया, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने स्वीकारोक्ति वाले आरोपी कत्तेसिंह के बयान लेख किये जाने का भी समर्थन नहीं किया है।

15— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी पी.ओ.आर. जारीकर्ता एवं जप्ती अधिकारी शिवम तिवारी (अ.सा.1) ने वनरक्षक के रूप में कथित गश्ती के दौरान कत्तेसिंह को मौके पर माचिस व कुल्हाड़ी सहित कटे हुए बांस वाले स्थान में पकड़ा था। अन्य फरार होने वाले आरोपीगण की पहचान उक्त जप्ती अधिकारी एवं अन्य

किसी वन अधिकारी ने मौके पर नहीं की है तथा आरोपी कत्तेसिंह के बताए जाने पर कथित रूप से मौके से फरार होने वाले आरोपीगण को अभियोजित किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार मामलों में स्वयं आरोपी कत्तेसिंह के स्वीकारोक्ति वाले बयान पर अभियोजन का मामला निर्भर है। आरोपी कत्तेसिंह के बयान लेख करने वाले विवेचक एन.एम. खान (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी कत्तेसिंह की स्वीकारोक्ति वाले बयान के आधार पर अन्य आरोपीगण को पूछताछ कर बयान लिया जाना बताया है। उक्त विवेचक की कार्यवाही के दौरान आरोपी कत्तेसिंह की स्वीकारोक्ति वाले बयान के साक्षी विभागीय कर्मचारी संतनसिंह (अ.सा.4) एवं लवकुश (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में उक्त बयान पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु कथित अपराध की स्वीकारोक्ति किये जाने के संबंध में समर्थन नहीं किये हैं। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बताया है कि आरोपी कत्तेसिंह ने अपने बयान में क्या बताया था, उन्हें नहीं मालूम।

16— प्रकरण में अभियोजन का संपूर्ण मामला आरोपी कत्तेसिंह की स्वीकारोक्ति वाले बयान पर निर्भर है। यद्यपि मात्र स्वीकारोक्ति के आधार पर एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि तर्क के लिए सभी आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के बयान को प्रमाणित मान भी लिया जाए तो भी प्रकरण में कोई पारिस्थितिक साक्ष्य प्रकट हुई हैं, वे संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। वास्तव में किसी भी साक्षी के द्वारा आरोपी कत्तेसिंह को कथित 200 नग बांस के पेड़ काटते हुए नहीं देखा गया है। मात्र गश्ती के दौरान वन अधिकारी के द्वारा मौके पर कटे हुए बांस को देखकर आरोपी कत्तेसिंह से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया जाना बताया है। यदि वास्तव में 200 नग बांस के पेड़ कटा होना प्रमाणित मान भी लिया जाए तो भी मात्र आरोपीगण के बयान के आधार पर अन्य संपुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध हेतु दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस कोर क्षेत्र में कथित बांस कटे हुए पाए गए हैं, वह बफर क्षेत्र से लगा हुआ और मौके से सामान्य लोगों के आवागमन होने के तथ्य को अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। उक्त तथ्य से इस अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कथित बांस को पूर्व से काटा गया था और घटना के समय आरोपी कत्तेसिंह के रास्ते से गुजरते हुए पकड़े जाने पर उसे तथाकथित अपराध हेतु

अभियोजित किया गया है। उक्त सभी पारिस्थितिक साक्ष्य एवं तथ्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

17— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी कत्तेसिंह कान्हा नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुज्ञा के प्रवेश कर कथित अपराध किया है। उक्त के अलावा अन्य आरोपी को मात्र उनकी संस्वीकृति से उनके द्वारा कथित अपराध किया जाना भी प्रमाणित नहीं है।

18— उक्त सभी कारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि कथित घटना दिनांक को कान्हा नेशनल पार्क के जामपानी नामक स्थान में आरोपीगण माचिस व कुल्हाड़ी लेकर बिना अनुज्ञा के प्रवेश कर 200 नग बांस की कटाई करते हुए वन्य प्राणी के आवास को क्षति कारित की। फलतः आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-27, 29, 31, 32, 35 (6) (8), 50, 51 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

19— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट